APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...त उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रामकल्याण बनाम पुन्नीलाल

...स्म मुकदमा 183, 188, 92 R. नं. 39 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/26	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत उक्त मेन्टेनबल नही होने से खारिज करने हेतु पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत उक्त मेन्टेनबल नही होने से खारिज करने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का वाद पेश किया गया है। उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होकर तहसीलदार को है। इस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा खारिज किया जावे बसूरत उक्त वाद प्रोपर कोर्ट में पेश करने के लिये वादी को लौटाया जावे। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत उक्त मेन्टेनबल नही होने से खारिज करने पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा दिनांक 21.03.2022 को प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी द्वारा दिनांक 08.06.2022 को उपस्थिति दर्ज की गई। उक्त प्रकरण माननीय अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। प्रतिवादी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को देरीना करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज फरमाया जावे। अतः जपाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी की ओर से अपने मत के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2000 पेज 200 पेंश किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से ससम्मान मार्गदशन प्राप्त किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। प्रस्तुत वाद एवं नियमों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद ग्राम चन्द्रेसल की खसरा नं0 1166 से प्रतिवादी को बेदखल करने एवं वादी को कब्जा सम्भलाने हेतु प्रस्तुत किया है। संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नं0 1166 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादी को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत किया है। चूंकि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमियों पर	उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का अधिकार वाद अंतर्गत धारा 183 बी के तहत न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा को प्राप्त है। वादी द्वारा हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत नही कर वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है जो मेन्टेनेबल नही होने से न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है। हस्तगत वाद में सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही होकर न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा को है। ऐसी स्थिति में इस वाद को मेरिट पर निर्णित न करके श्रवणाधिकार के बिन्दु पर निर्णित करना उचित पाते है।

अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत उक्त मेन्टेनबल नही होने से खारिज करने स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत वाद अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि से बेदखल करने हेतु होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होकर न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा के श्रवणाधिकार का होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद वादी को लौटाने के आदेश दिये जाते है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 6/2/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

राजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा